क्रम संख्या–195

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 26, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 338/XXXVI(3)/2015/52(1)/2015

देहरादून, 17 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक 2015'** पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 22 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2015

(अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2015)

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए–

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008, (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् –

(1) नीचे स्तम्भ–1 में दिया गया वर्तमान उपधारा(4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपधारा रख दिया जायेगा; अर्थात् –

4. कर का उद्ग्रहण :–

(1) राज्य में व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के विकास के प्रयोजन हेतु स्थानीय क्षेत्र के भीतर उपभोग, उपयोग अथवा विक्रय हेतु उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर किसी स्थान से अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर ऐसी दर से, जो माल के मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कर का उद्ग्रहण अथवा माल के भिन्न–भिन्न वर्गों पर भिन्न–भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं;

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर उपधारा (10) के प्राविधानों के अध्यधीन अनुसूची तद्नुसार संशोधित समझी जाएगी।

धारा 4–क का जोड़ा जाना

3. "मूल अधिनियम" की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा 4–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

4–क: ई–कॉमर्स पर कर :–

राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, कमिश्नर, विज्ञप्ति जारी कर, ऑनलाईन क्रय या ई–कॉमर्स द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में, विनिर्दिष्ट माल के प्रवेश पर कर संग्रहित करने की सरल प्रक्रिया तैयार करेंगें तथा इसके अन्तर्गत किसी ट्रांसपोर्टर/ कुरियर/परिदान अभिकर्ता/ अभिकर्ता/मालवाहक एवं किसी अन्य

व्यक्ति (आयातकर्ता) से राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से राज्य के भीतर, कारबार के अन्यथा अथवा व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ, जो स्वयं अथवा किसी अन्य के बदले ऐसा माल प्राप्त करने का इरादा रखता हो, प्रवेश कर के सग्रंहण की प्रकिया भी विहित करेंगे तथा ऐसे ट्रांसपोर्टर/कुरियर/परिदान अभिकर्ता/अभिकर्ता/ मालवाहक एवं कोई अन्य व्यक्ति (आयातकर्ता) ऐसे माल के कुल मूल्य पर ऐसी दर एवं ऐसी रीति से जो विहित की जाए, प्रवेश कर के भुगतान के लिए दायी होगे।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 338/XXXVI(3)/2015/52(1)/2015
Dated Dehradun, November 17, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Bill, 2015'** (Adhiniyam Sankhya 22 of 2015).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 November, 2015.

THE UTTARAKHAND TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS (AMENDMENT) ACT, 2015

(Act No. 22 of 2015)

An

Act

further to amend The Uttarakhand Tax On Entry Of Goods Into Local Areas Act, 2008 -

(Be it enacted by the Uttarakhand Legislative Assembly in the Sixty sixth year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Tax On Entry Of Goods Into Local Areas, (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall come into force at once.

Amendment in Section 4

2. In Section 4 of the Uttarakhand Tax On Entry Of Goods Into Local Areas Act, 2008(hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-section shall be substituted; namely -

4. Levy of Tax :

(1) For the purpose of development of trade, commerce and industry in the State, there shall be levied and collected a tax on entry of goods specified in the schedule into a local area for consumption, use or sale therein, from any place outside that local area, at such rate not exceeding twenty percent of the value of the goods as may be specified by the State Government by notification and different rates may be specified in respect of different goods or different classes of goods;

Provided that the State Government by notification amend the schedule and upon issue of any such notification, the schedule shall, subject to the provisions of sub-section (10), by deemed to be amended accordingly.

Addition of Section 4-A

3. In the Principal Act, after Section 4, the following new Section 4-A shall be added; namely-

4-A Tax on e-commerce :

The Commissioner, with prior approval of the State Government, may by notification formulate a simple procedure for the collection of entry tax on entry of specified goods into local area of State of Uttarakhand made through online purchase or e-commerce and such procedure may also provide for collection of entry tax from a transporter/ courier/delivery agent/agent/goods carrier and any other person (importer), who intends to bring such goods, whether on his own account or on behalf of any other person, into the State from outside the State or outside the Country, in connection otherwise of business or for personal use and such a transporter /courier/ delivery agent/agent/goods carrier and any other person (importer) shall be liable to pay entry tax on total value of such goods at such rate and in such manner, as may be prescribed thereunder.

By Order,

JAI DEO SINGH,
Principal Secretary.

कारण एवं उद्देश्य

वर्तमान में ई–कॉमर्स के माध्यम से कई व्यापारिक कम्पनियां माल एवं सेवाओं का विक्रय कर रही हैं। विगत कई वर्षों में उपभोक्ताओं तथा अन्य कारोबारियों को ई–कॉमर्स के माध्यम से की जाने वाली बिक्री लगातार बढ़ रही है, जिस कारण उत्तराखण्ड राज्य में भी ई–कॉमर्स कम्पनियों द्वारा बड़े पैमाने पर अपने व्यापार का विस्तार किया गया है। ई–कॉमर्स के माध्यम से किये जा रहे व्यापार के प्रति उपभोक्ताओं का बढ़ता आकर्षण का मुख्य कारण बिक्री मूल्य पर छूट देना है। यह माल मुख्य रूप से प्रान्त बाहर से सप्लाई किया जाता है इस कारण से राज्य को इस पर कोई कर प्राप्त नहीं होता है तथा स्थानीय बाजार पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

2. उत्तराखण्ड राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों तथा सीमित कर आधार को देखते हुये उक्त कम्पनियों द्वारा किये जा रहे ई–कॉमर्स पर करदेयता राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। इसके साथ ही ई–कॉमर्स पर करदेयता की व्यवस्था लागू किये जाने से राज्य में पंजीकृत व्यापारियों को भी लाभ प्राप्त होगा। विभागीय आख्यानुसार असम राज्य में भी ऑनलाईन शॉपिंग पर प्रवेश कर देयता की व्यवस्था लागू है।

3. उक्तानुसार व्यवस्था लागू किये जाने हेतु उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश कर अधिनियम–2008 की धारा 4–क अन्तःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस संशोधन द्वारा कमिश्नर को यह अधिकार प्राप्त हो जायेगा कि वे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से ई–कॉमर्स द्वारा प्रान्त बाहर से मंगाये जाने वाले माल के लिए प्रवेश कर की वसूली हेतु प्रक्रिया निर्धारित कर सके। ई–कॉमर्स द्वारा प्रान्त बाहर से मंगाये जाने वाले माल पर कर की दर हेतु उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश कर अधिनियम 2008 में विनिर्दिष्ट अनुसूची के कमांक–21 के पश्चात् कमांक 22 पर निम्न माल की प्रविष्टि रखते हुये उक्त माल पर 10 प्रतिशत प्रवेश कर अधिरोपित किये जाने का प्रस्ताव है:–

'उत्तराखण्ड राज्य के स्थानीय क्षेत्र के भीतर ऑनलाईन शॉपिंग अथवा ई–कॉमर्स द्वारा क्रय या ऑर्डर कर लाया गया सभी प्रकार का माल।'

4. उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश कर अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अधिकतम 5 प्रतिशत प्रवेश कर आरोपित किए जाने का प्राविधान है। इसे संशोधित करते हुए धारा 4 की उपधारा (1) में अधिकतम प्रवेश कर की दर 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त प्रस्ताव को विधेयक के रूप में उत्तराखण्ड विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

डा0 इन्दिरा हृदयेश
वित्तमंत्री

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 68 विधायी/686–2015–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।